न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–95/2020
बिहार सरकार द्वारा अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा बनाम विकास कुमार पाण्डे

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
14/8/2019	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा के पत्रांक–441/म0नि0, दिनांक–18.03.2020 से प्राप्त उत्पाद वाद कांड संख्या–1136/2019 (दरभंगा व्यवहार न्यायालय) में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **डटसन रेडी गो कार** रजि0 सं0– BR06BS-9933 के राज्यसात् करने हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। इसी क्रम में वाहन स्वामी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–4759/20 में दिनांक 01.07.2020 को पारित आदेश के आलोक में आदेश की प्रति के साथ उपस्थित होकर कारण पृच्छा हेतु समयावेदन दाखिल किया गया। तत्पश्चात कारण पृच्छा दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद कर्मियों तथा सशस्त्र बल के साथ एकमीघाट सड़क पर वाहनों की तलाशी के दौरान **डटसन रेडी गो कार** रजि0 सं0–BR06BS-9933 को लेकर भागते हुए अभियुक्त को पीछाकर पकड़ा गया। उक्त वाहन की विधिवत् तलाशी लेने पर उक्त वाहन से भाड़ी मात्रा में 750*ml* का 54 बोतल शराब, 375*ml* का 70 बोतल शराब, 180*ml* का 94 बोतल शराब, 180*ml* का 48 बोतल शराब **कुल 92.310 लीटर** विदेशी शराब बरामद किया, जिसे उक्त कार के साथ विधिवत जब्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की गयी। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये। वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि उक्त जब्त वाहन के स्वामी हैं, उक्त वाहन विश्वास पर जरूरी काम के लिए प्राथमिकी में अंकित अभियुक्त को दिया था जिसके द्वारा गलत काम किये जाने के कारण पुलिस द्वारा वाहन चेंकिग के दौरान वाहन जब्त किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय, पटना से जमानत भी मिल चुका है। वाहन की विमुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 4759/20 दायर की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2020 के आलोक में वाहन विमुक्ति हेतु आवेदन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। वाहन विमुक्ति हेतु बन्ध पत्र, प्रतिभूति अथवा भवदीय न्यायालय का जो आदेश होगा उसके पालन हेतु वे तैयार है। अतः वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।	

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त जब्त कार से अवैध शराब का भाड़ी मात्रा में चौर्य व्यापार एवं परिवहन किया जा रहा था, जिसे उत्पाद विभाग के बल द्वारा तलाशी के क्रम में शराब के साथ जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से वाहन विमुक्ति हेतु दाखिल आवेदन के साथ वाहन विमुक्ति हेतु कोई भी ठोस साक्ष्य दाखिल नहीं किये हैं। यदि विपक्षी के वाहन का दुरूपयोग चालक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो वे उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में उत्पाद वाद कांड संख्या–1136/2019 (दरभंगा व्यवहार न्यायालय) में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **डटसन रेडी गो कार** रजि0 सं0– BR06BS-9933 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति उत्पाद अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 4759/20 में पारित आदेश के आलोक इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा